सं0 11013/2/97- स्था0 ﴾क﴿

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

﴾कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग﴿

नई दिल्ली, दिनांक25 मार्च, 1997

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को, समय-समय पर विभिन्न एयरलाइन्स द्वारा चलाई गई सहयात्री मुफ्त योजना सेवा के तहत मुफ्त सहयात्री टिकट की स्वीकृति ।

मुझे उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 9.12.93 तथा 22.4.94 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/13/93 स्था0﴾क﴿ का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न पक्षों से प्राप्त अभ्यावेदनों तथा इस तथ्य के मद्देनज़र कि यह योजना साधारण बिक्री प्रोत्साहन योजना का एक भाग है और न कि यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है । सरकार ने इन अनुदेशों की संवीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि इन अनुदेशों को तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जाए । तद्नुसार, सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त सहयात्री टिकट या इसके समान किसी दूसरी सुविधा का लाभ लेने की अनुमति प्रदान की जाती है बशर्ते कि इस प्रकार की सुविधा केवल राष्ट्रीय वायुयानों ﴾इण्डियन एयर लाइन या एयर इण्डिया﴿ से यात्रा करके प्राप्त की जाए ।

﴾ एस0नंदक्योल्यर﴿

निदेशक ﴾स्था.-II﴿

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रति प्रेषित:

संघ लोक सेवाआयोग/नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ।

1. सचिव, लोक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 21.3.94 के कार्यालय ज्ञापन सं0 15﴾8﴿/93-जी0एम0﴾डी0पी0ई0﴿ के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई व सूचनार्थ प्रति प्रेषित ।
2. संयुक्त सचिव﴾कार्मिक﴿, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
3. प्रबंध निदेशक, एयर इण्डिया ।
4. प्रबंध निदेशक, इण्डियन एयर लाइन्स ।

﴾एस0 नंदक्योल्यर﴿

निदेशक ﴾स्था0-II﴿